<u>कार्यालय–जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूँटी</u>

अधिसूचना संख्या– 03/2024

पारा विधिक स्वंय सेवक के चयन हेतु आवेदन अमंत्रित किए जाते हैं।

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी के द्वारा कुल 10 रिक्त पदों के विरूद्ध पारा विधिक स्वंय सेवक के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन करने हेतु आवेदन का प्रपत्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या सिविल कोर्ट खूँटी के अधिकारिक वेबसाईट https://khunti.dcourts.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

<u>आवेदन करने हेतु निम्नलिखि निर्देशों का पालण करना आवश्यक हैः–</u>

- आवेदन सचिव, जिला विधिक सेवा प्रधिकार, व्यवहार न्यायालय, खूँटी 835210 के पता पर स्वीकार किए जाएंगे।
- आवेदन सूचना की तिथि से लेकर दिनांक–12/12/2024 समय 04:30 अपराहन तक ही स्वीकार किए जाएंगे।

<u>कौन आवेदन दे सकता है–</u> जिला खूँटी के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति (महिला/पुरूष/अन्य) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर वर्गों एवं वंचितों के उत्थान में रूचि रखते हैं या उनके लिए स्वेच्छिक सेवा करना चाहते हैं, जैसे– कार्यरत या सेवानिवृत शिक्षक, कार्यरत या सेवानिवृत डॉक्टर, कार्यरत या सेवानिवृत फौजी एवं किन्नर जो अपनी स्वेच्छा से दूसरों की सेवा में रूची रखते हों तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार पी0एल0वी के रूप में पहचाने जाने के लिए उपयुक्त समझें।

<u>पारा विधिक स्वंय सेवक के कार्यः–</u> पारा विधिक स्वंय सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पिड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य करना प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य करना जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निर्देशित किया जाए।

<u>पदों की संख्याः–</u> जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी के द्वारा कुल 10 रिक्त पदो ंके विरूद्ध पारा विधिक स्वंय सेवक के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस संबंध में अन्तिम निर्णय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी का होगा।

उम्र सीमाः– न्युनतम 18 वर्ष।

<u>शैक्षणिक योग्यताः–</u> मैट्रिक अथवा समकक्ष।

<u>मानदेयः–</u>पी0एल0वी के कार्य पुर्णतः अस्थायी है एवं कोई वेतन नहीं है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा– निर्देश के आलोक में वर्तमान में प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 700–(सात सौ रूपया) प्रतिदिन का मानदेय निर्धारित है

जो प्रत्येक कार्य दिवस हेतु होगा तथा यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए देय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें विशेष कार्य हेतु निर्देशित करती है या स्वंय सेवक अपने क्षेत्रों से किसी व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान करता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

<u>पात्रता / योग्यताः–</u> 1. आवेदक भारत का नागरिक हो 2. आवेदक खूँटी जिला का निवासी हो 3. शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो 4. अच्छा चरित्र का हो 5. समाज सेवा में रूचि रखता हो 6. किसी आपराधिक मामले का आरोपी / दोषी सिद्ध न हो।

आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र लगाकर साथ ही स्वपता लिफाफा 42रू. का डाक टिकट चिपकाकर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, खूँटी के कार्यालय में पंजीकृत डाक से या हाथों–हाथ अन्तिम तिथि 12 / 12 / 2024 की संध्या 05:00 बजे अनराहन् तक जमा कर सकते हैं। अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा एवं अपूर्ण / अधुरे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदन भेजने का पता–सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायलय, खूँटी पिन न0–835210.

पारा विधिक स्वंय सेवकों का चयन चयन समिति द्वारा किया जाएगा एवं चयन के संबंध में अन्तिम निर्णय चयन समिति का होगा और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी